एफ. सं. 2(54)/08-डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीएल-X/2022

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

लोक उद्‌यम विभाग

लोक उद्‌यम भवन
ब्लॉक सं. 14, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 28 अप्रैल, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: - **एचपीपीसी की सिफारिशों द्‌वारा शासित छठे सीपीसी वेतनमान पर सीपीएसईज़ के सीडीए पैटर्न कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2022 से डीए का भुगतान।**

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 14.10.2008 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2 और अनुबंध-III जिसमें सीडीए पैटर्न वेतनमान का अनुसरण करने वाले सीपीएसईज़ के कर्मचारियों को देय डीए की दरों को दर्शाया गया था का संदर्भ लेने का निदेश दिया जाता है।

2. देय महंगाई भत्ते की दर, **दिनांक 01.01.2022** से मूल वेतन के मौजूदा **196% से बढ़ाकर 203%** कर दी जाएगी।

3. महंगाई भत्ते के भुगतान में 50 पैसे और उससे अधिक के अंशों को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जा सकता है और 50 पैसे से कम के अंशों की उपेक्षा की जा सकती है।

4. ये दरें उन सीडीए कर्मचारियों के मामले में लागू हैं जिनके वेतन को डीपीई के दिनांक 14.10.2008 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार दिनांक 01.01.2006 से संशोधित किया गया है।

5. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त को आवश्यक कार्रवाई के लिए अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सरकारी लोक उद्‌यमों के ध्यान में लाएं।

(समसुल हक)
अवर सचिव

सेवा में,

भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग।

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. केन्द्रीय सरकारी उद्‌यमों के मुख्य कार्यपालक।
2. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली।
3. प्रशासनिक मंत्रालयों के वित्तीय सलाहकार।
4. व्यय विभाग, स्था.-।। शाखा, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
5. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लोक उद्‌यम विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को लोक उद्‌यम विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।

(समसुल हक)
अवर सचिव